जहां सभा में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, वहीं सरकार को भी अपने दायित्वों का निर्वाह करने का अधिकार होना चाहिए - लोक सभा अध्यक्ष

गांधीनगर, 22 जनवरी, 2016 : लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज गांधीनगर में गुजरात विधान सभा कक्ष में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन का शुभारंभ किया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती महाजन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि संसद में शालीनता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि विधायी निकायों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को सुस्थापित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां सभा में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, वहीं सरकार को भी अपने दायित्वों का निर्वाह करने का अधिकार होना चाहिए।

एजेंडा के पहले विषय अर्थात् विधानमंडलों की बदलती सार्वजनिक छवि: लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने में विधायकों की भूमिका और अध्यक्षीय शोध कदम की प्रासंगिकता" पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि विधानमंडलों की जिम्मेदारियों और उनके कामकाज में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिससे विधायकों का काम भी बढ़ा है। तथापि, ऐसी धारणा है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने यह कहा कि विधानमंडलों की प्रभावकारिता जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभा में अनुशासन और शालीनता इस संस्था की विश्वसनीयता और गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में श्रीमती महाजन ने अपनी नई पहल अध्यक्षीय शोध कदम (अशोक) का उल्लेख भी किया जिसका उद्देश्य संसद सदस्यों को जटिल राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सहायता प्रदान करना है।

सम्मेलन के एजेंडा के दूसरे विषय अर्थात् सभा की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और वाद-विवाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए किये जाने वाले उपाय तथा राज्य विधानमंडल में एक वर्ष में सभा की कम से कम 60 बैठकें सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि सभा को अपना कार्य स्थगित न करके इसे सुचारू रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ऐसा नहीं होता तो सुशासन और विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। यह स्थिति ऐसे में और भी गंभीर हो जाती है जब विधानमंडल वर्ष में न्यूनतम संख्या में बैठकें नहीं करते। इसलिए उन्होंने

विधायकों से विधायी कार्य में पूरी ईमानदारी से भाग लेने तथा महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अद्यतन जानकारी रखने का आग्रह किया।

अपने भाषण में गुजरात की मुख्यमंत्री, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत का लोकतंत्र विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेरणादायी संविधान का भाग होने के नाते यह हम सब का परम कर्त्तव्य है कि हम जनता को मूल्य आधारित शासन प्रदान करने के लिए इस विरासत की रक्षा करें और इसे मजबूत बनाएं। श्रीमती पटेल ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी के नए रूपों, बदलती सामाजिक सोच और मीडिया की अभूतपूर्व वृद्धि से लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता के बीच विश्वास की कमी को दूर करने के लिए इन चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से विधानमंडलों के सुचारू कार्यकरण में मदद मिलेगी।

इससे पूर्व प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष श्री गणपत सिंह वसावा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में संसद और राज्य विधानमंडल सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जिनमें जनता की आशाएं और आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं। बढ़ती हुई आशाओं के साथ सदस्यों का यह दायित्व है कि वे अपने निर्वाचकों की आशाओं पर खरे उतरें। इस संबंध में उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में विचार-विमर्श से सार्थक सिफारिशें की जा सकेंगी।

इससे पूर्व लोक सभा अध्यक्ष ने "संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण" विषय पर एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा गुजरात विधान सभा तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के सहयोग से किया गया।

तत्पश्चात्, कुछ पूर्व पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के निधन के संबंध में शोक संदेश पारित करने के उपरांत सम्मेलन का कार्य सत्र शुरू हुआ। सत्र के दौरान कार्यसूची में निर्धारित विषय अर्थात् विधानमंडलों की बदलती सार्वजनिक छवः लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने में विधायकों की भूमिका और अध्यक्षीय शोध कदम की प्रासंगिकता" पर व्यापक चर्चा हुई। चर्चा की शुरूआत लोक सभा के उपाध्यक्ष डा. तम्बिदुरै द्वारा की गई जिसमें अनेक पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया और उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।